कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in
सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/डी- 1640 दिनांक: 21.11.2022

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल,
जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति सभी संभाग

विषय:- लंबित फॉर्म-51 के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्र.नि.वि.1/स-2/डी-2260 दिनांक 12.01.2021,295 दिनांक 21.06.2021, 1567 दिनांक 02.12.2021, 1950 दिनांक 17.02.2022, 175 दिनांक 05.05.2022 एवं 1091 दिनांक 25.08.2022

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे, जिसके द्वारा लंबित फॉर्म-51 अघतन तैयार कर प्रषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में लेख है कि जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभिन्न संभागों से फॉर्म-51 प्राप्त न होने की स्थिति में रेमिटेंस/चैक्स के अंतर्गत लंबित राशियों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे संभाग जो बंद हो चुके है किन्तु फॉर्म-51 लंबित है, के संबंध में संबंधित संभाग जिसमे कि इनका विलय/पुनर्विनियोजन हुआ है, को भिजवाने हेतु विशेष रूप से प्रयत्न करे। यह भी उल्लेखनीय है कि, फॉर्म-51 जो कि मासिक लेखे का महत्वपूर्ण भाग है, का निराकरण, संभागीय लेखपालो/संभागीय लेखा अधिकारियो के परफोर्मेंस को प्रदर्शित करता है।

अत:, पुनः सभी वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापालो को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संभागों के लंबित फॉर्म-51 अघतन तैयार कर, अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि लेखांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

उपरोक्त कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता प्रदान करे।

21/11/2022

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.-1